कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail :zp-raigarh.cg@nic. Website https://raigarh.gov.in
Phone : 07762-222032 Fax :07762-224496

बिहान

क्रमांक/ 983 /जिला पंचायत/NRLM/ लेखा/स्था/2025–26 रायगढ, दिनांक 20.03.26

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विकास आयुक्त कार्यालय, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक ESTB/1107/2025-Section CGSRLM नवा रायपुर, दिनांक 23.02.2026 में दिए गए निर्देशानुसार एवं जिला स्तरीय चयन समिति कि अनुमोदन उपरांत की गई अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत जनपद पंचायत मे 04 पद विकास खंड परियोजना प्रबंधक एवं 03 पद क्षेत्रीय समन्वयक के संविदा नवीन पद के भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 07.04.26 को कार्यालयीन समय पर सायं 5:30 बजे तक **कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – रायगढ़ (छ.ग.) पिन नं0 496001** के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि एवं कार्यालयीन समय उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही किए जावेगें।

जनपद स्तर पर संविदा नवीन पदों का पदनाम संख्या व संवर्गवार पद का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं	पद का नाम	रिक्त पदों की वर्गवार जानकारी																	
		पद संख्या	अनारक्षित				अन्य पिछ्डा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति				कुल
			मुक्त	महि.	दिव्यांग	भू.सै.	मुक्त	महि.	दिव्यांग	भू.सै.	मुक्त	महि.	दिव्यांग	भू.सै.	मुक्त	महि.	दिव्यांग	भू.सै.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	विकास खंड परियोजना प्रबंधक	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4
2	क्षेत्रीय समन्वयक	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
कुल :-		7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	7

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत– रायगढ़ (छ0ग0)

पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण :-

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	टंक
1	2	3	4	5	
1.	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	39,875	**शिक्षा** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि/ द्विवर्षीय डिप्लोमा **अनुभव** – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखण्ड / क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 02 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग बेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/ आजीविका संबंधी क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	15
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				साक्षात्कार	15
2.	क्षेत्रीय समन्वयक	26,490	**शिक्षा** – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा /सर्टिफिकेट। **अनुभव** – स्नातक उपाधि उपरांत विकासखंड/कलस्टर स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयकपद का न्यूनतम 01 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग बेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/ आजीविका संबंधी क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				लिखित/कौशल परीक्षा	10

नोटः– सभी पदों के लिये छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-रायगढ़ (छ0ग0)

नियम व शर्ते :–

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–रायगढ़ (छ.ग.), पिन.–496001** के नाम से **दिनांक** 07.04.26 तक कार्यालयीन समय तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई–मेल या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नही किये जावेंगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा।
2. रिक्त पदों के लिये पदवार अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
3. आयु, न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ के निवासियों एवं विभिन्न वर्गो हेतु समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना **01 जनवरी 2026** के आधार पर की जावेगी।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक द्वारा आवेदन में आवेदक का फोटो स्वप्रमाणित तथा आवेदन के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित (सत्यापित) छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। **स्वप्रमाणित नही होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।**
6. दावा आपत्ति के संबंध में केवल वे ही दस्तावेज दावा आपत्ति के समय मान्य किये जायेगे, जो आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये हो, अन्य किसी भी प्रकार के दस्तावेज को मान्य नही किया जावेगा अथवा जोड़ा नही जायेगा।
7. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छ.ग. निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
8. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 10वीं/12वीं/स्नातक में A1 ग्रेड़ = 91-100 औसत 95%, A ग्रेड़ = 81-90 औसत 85%, B1 ग्रेड़ = 71-80 औसत 75%, B ग्रेड़ = 61-70 औसत 65%, C1 ग्रेड़ = 51-60 औसत 55% एवं C ग्रेड़ = 40-50 औसत 45%, उपरोक्त ग्रेड अनुसार प्रतिशत प्रदान किया जावेगा अन्यथा आवेदक संबंधित बोर्ड/संस्था से अपना प्रमाणिक अंक लेकर आएंगें।
9. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
10. संविदा नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
11. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्र. एफ/9–1/2012/1–3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
12. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
13. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
14. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
15. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी।
16. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट एवं अनुभव के अंको के आधार पर सूचीबध्द किया जावेगा और उनको कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा। तदउपरांत कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंक एवं अनुभव के अंकों को जोड़ते हुये अंतिम चयन सूची जारी की जावेगी।
17. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिये 01 पद के विरूध्द 10 आवेदकों को कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित

किया जावेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा।

18. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्त्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा। जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही गैर–शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र हेतु आवेदक को निरंतर **06 माह का प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।** पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य /अमान्य किये जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
19. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो, चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
20. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
21. आवेदक को एक वर्ष के लिये वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है, तो उसे वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
22. उपरोक्त मांगी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर प्रक्रिया के दौरान/चयन पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
23. शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव विज्ञापन तिथि से पूर्व का या विज्ञापन तिथि तक लगातार न्युनतम एक वर्ष पूर्ण होना आवष्यक है। एक वर्ष से कम अवधि के अनुभव पर मेरिट हेतु अंक प्रदाय नही किया जावेगा।
24. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।
25. अपूर्ण/अस्पष्ट अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा एवं इसकी कोई सूचना नही दी जावेगी।
26. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम तथा वर्ग का उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ–साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 05 रू. का डाक टिकट लगा एक छोटा खाली लिफाफा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
27. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से की एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नही होगा। ऐसे मामले में शासन की अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध को छूट दे सकता है।
28. नियुक्ति कें संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
29. किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित की जा सकती है तथा पदों की संख्या में परिवर्तन भी संभावित है।
30. आवदेन पत्र का विस्तृत प्रारूप कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–रायगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के सूचना पटल, एवं जिले के वेबसाईट https://raigarh.gov.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।
31. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत–रायगढ़ (छत्तीसगढ)

छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत

संविदा भर्ती

आवेदक का अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत– रायगढ़ (छ.ग.)
पिनकोड– 496001

आवेदित पद का नाम : ....

1. अभ्यर्थी का नाम– (हिन्दी में) : ....

   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) : ....

2. पिता/पति का नाम– (हिन्दी में) : ....

3. जन्म तिथि (अंको में)

   दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में आयु – वर्ष .... माह .... दिन ....

   (हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4. लिंग (पुरूष/महिला) : ....

5. जाति (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./सामान्य) उल्लेख करें – ....

   (आरक्षित प्रवर्ग का होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

6. पत्राचार का पता – ....

   ....

   ....(मो.नं.)..............................ईमेल..............................

7. स्थायी पता – ....

   ....

8. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है? – ....

9. शैक्षणिक योग्यता – (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	डिग्री/डिप्लोमा	बोर्ड/विवि	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

10. नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें :–

क्र.	कार्यरत पद का नाम	संस्था का नाम/पूर्ण पता	कार्यरत अवधि कब से कब तक	जारीकर्ता का पदनाम	क्रमांक व दिनांक
1			.... से .... ,तक (कुल अवधि)		
2			.... से .... ,तक (कुल अवधि)		
3			.... से .... ,तक (कुल अवधि)		
4			.... से .... ,तक (कुल अवधि)		

11. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) – ....

12. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि – ....बच्चों की संख्या – ....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां सत्य हैं। किसी भी स्तर पर जानकारियां असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन/सेवायें निरस्त कर मुझ पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम –.........................

नोट – संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नांकित क्रम में रखा जावे।

स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –

1. हाई स्कूल का प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र
3. स्नातक का प्रमाण पत्र
4. स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र
5. कम्प्यूटर डिग्री/ डिप्लोमा का प्रमाण पत्र
6. अनुभव/अनापत्ति का प्रमाण पत्र
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
8. छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र।
9. अन्य प्रमाण पत्र।